शीर्ष प्राथमिकता/टाइमलाइन संशोधन

संख्या– 1280-बी/क0नि0–6–2017

प्रेषक

राजेन्द्र सिंह मौर्य
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/संस्थागत वित्त/सहकारिता/ आई0टी0 इलेक्ट्रॉनिक्स/ राजस्व/कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तर प्रदेश।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–6

लखनऊ दिनांक 14 सितम्बर, 2017

विषय –फसल ऋण मोचन योजना" के कियान्वयन हेतु द्वितीय चरण की पुनः संशोधित समय–सारिणी

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–1245बी/क0नि0–6–2017, दिनांक 08 सितम्बर, 2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा फसल ऋण मोचन योजना के कियान्वयन हेतु द्वितीय चरण की कार्यवाही सम्पादित किए जाने के कम में समय–सारिणी प्रसारित की गयी थी। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 14 सितम्बर, 2017 आहूत इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में दिए गए निर्देशों के कम में पूर्व निर्धारित समय–सारिणी में निम्नानुसार संशोधन किया जा रहा है:–

क0	कार्यवाही	पूर्व निर्धारित समयावधि	संशोधित समयावधि
1	प्रथम चरण में अवशेष डाटा की आधार सीडिंग तथा भौतिक सत्यापन की कार्यवाही	29 अगस्त से 15 सितम्बर, 2017	29 अगस्त से 15 सितम्बर, 2017 को अपरान्ह 1.00 बजे तक
2	प्रथम चरण में अवशेष डाटा की भू–लेख मैपिंग	29 अगस्त से 15 सितम्बर, 2017	29 अगस्त से 15 सितम्बर, 2017 को अपरान्ह 1.00 बजे तक
3	दिनांक 29 अगस्त, 2017 से 15 सितम्बर, 2017 के मध्य फीड किये गये आधार का यूआईडीएआई से वैलिडेशन तथा आधार डुप्लीकेसी चेक।	15–17 सितम्बर, 2017	15–16 सितम्बर, 2017
4	जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा सत्यापन पूर्ण कर अर्ह किसानों की सूची डिजिटली लॉक करना	15–18 सितम्बर, 2017	17 सितम्बर, 2017

/2

5	कृषि निदेशालय द्वारा धनराशि का बैंकों को हस्तांरण	19–22 सितम्बर, 2017	18–19 सितम्बर, 2017
6	बैंकों द्वारा ऋणी खाते में धनराशि हस्तान्तरण एवं उक्त विषयगत प्रमाण पत्र पर कृषि विभाग को उपलब्ध कराना	23–27 सितम्बर, 2017	20–23 सितम्बर, 2017
7	कैम्पों का आयोजन	3–5 अक्टूबर, 2017	27 सितम्बर, 2017

कृपया तद्नुसार संशोधित समय–सारिणी के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
उप सचिव।

संख्या– 1280 (1) बी/क0नि0–6–2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, संस्थागत वित्त, विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, लखनऊ।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
उप सचिव।